भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अंतारांकित प्रश्न संख्या: 225
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 22 जुलाई, 2024
31 आषाढ़, 1946(शक)

आदम का पुल (एडम्स ब्रिज)

225. श्री टी. आर. बालू:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समुद्र में स्थित स्थलों जैसे आदम का पुल (एडम्स ब्रिज) को राष्ट्रीय घोषित करने के अनुरोध सरकार के पास लंबित है ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गए हैं ;

(ग) राष्ट्रीय स्मारकों की घोषणा करने के लिए सांविधिक मानदण्डों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसे राष्ट्रीय स्मारकों के रख-रखाव पर सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): राम सेतु (एडम्स ब्रिज) को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। वर्तमान में, समुद्र में स्थित स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का कोई अन्य प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग): प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 (एएमएएसआर अधिनियम, 1958) की धारा 4 के तहत प्राचीन स्मारकों या पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया जाता है। किसी भी प्राचीन स्मारक या पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने के,केंद्र सरकार के आश्य से, भारत के राजपत्र में एक नोटिस प्रकाशित किया जाता है, जिसमें दो माह की समय-सीमा के भीतर जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। निर्दिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचार करने के बाद, केंद्र सरकार भारत के सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करके प्राचीन स्मारक या पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है।

(घ): प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958के तहत 3697 स्मारक और स्थल राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके रखरखाव पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपए में)
2021-22	**269.57**
2022-23	**391.93**
2023-24	**443.53**

*****